

Registration no. (23013982022118072123) Date: (16-01-2023) Valid till: (16-1-2026)



जिता शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | PATNA
शिक्षा विभाग, विहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

Discovery School for learning

Opp PNB Bank, Near HP Gas Godown, Sherpur

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसूचीकृति का प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 08-11-2022 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिता स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 16-01-2023 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय Discovery School for learning, Opp PNB Bank, Near HP Gas Godown, Sherpur, SHERPUR, 801503 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्ष 16-01-2023 से 16-1-2026 अवधि के लिए औपबधिक प्रसूचीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रसूचीकृति निम्न शर्तों के अनुपातन के अधीन होगी।

1. प्रसूचीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपातन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अताभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपातन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्घृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इससे से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) विद्युत निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की विद्युत गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवर्षा का अनुसरण करेंगे।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के अंतर्गत में उपलब्ध सुविधाओं के अनुयायिक रूप से छात्रों का नामांकन करेंगे।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्घृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेंगे। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत:

(i) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 67891.3 डिस्मिड

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 67891.3 डिस्मिड

(iii) खेल के मैदान क क्षेत्र :- PLAYGROUND, TAP WATER, PLAYING EQUIPMENT, ELECTRICITY CONNECTION, STAND BY POWER SUPPLY, LEARNING EQUIPMENT, LIBRARY

(iv) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 10

(v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 1

(vi) बातक तथा बातिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western, Boys :- 4, Girls 4

(vii) वेपजत की सुविधा :- 05

(viii) मण्डाह भोजन के लिये रसोई घर :- 0

(ix) बाधारहित पहुँच :-

(x) शिक्षण अंगिम सामग्री खेल-कुद उपकरण पुस्तकालय :- SWING, MERRY-GO-ROUND, SEE-SAW, CARROM BOARD, LUDO, BADMINTON, FOOTBALL, CRICKET KIT, ETC., (Y, 205, NewsPaper Magazine:- 2)

11. कोई भी अपर्याप्त तर्जका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अपना मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा क्रीडा विकास के लिए होंगे।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्धारित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में तानू कानून के तहत गठित किन्हीं पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होंगे।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के नाम के लिए संचालित नहीं होगा।

15. स्का का अकेल एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेड के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के अंतर्गत में उपर्युक्त स्का विवरणी देवार की जाएगी। प्रत्येक स्का विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. अपने विद्यालय को आवंटित प्रस्थीकृति कोड संख्या [2301398202218072123, 2022] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अधिकृत एवं उद्घृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर "मॉग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्थीकृति की छात्रों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निर्बंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें



Yashvir
16/11/2022